District Health Society, Madhubani

जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी

Sadar Hospital Campus, Madhubani
Phone No. 06276-227261
Email : dhsmadhubani@gmail.com

पत्रांक 176 / जि0स्वा0स0, मधुबनी दिनांक 27/01/15 /

अल्पकालीन निविदा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मधुबनी जिलान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड से चयनित एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(कुल सं0–21), जिसे 24X7 एम0सी0एच0 सेंटर के रूप में कियान्वित किया गया है, पर प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लिया जाना है। अतः उपरोक्त कार्यो को सम्पन्न कराने हेतु इच्छुक निबंधित गैर सरकारी एजेंसियों/संस्थाओं से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक **11.02.2015 को अपराह्न 01 बजे** तक कार्यालय कार्यदिवस में जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त किया जाएगा। एजेंसी द्वारा अग्रधन राशि के रूप में निविदा के साथ रू0 10,000.00(दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी के पक्ष में तथा मधुबनी में भुगतेय होगा, जमा करना होगा। निविदा के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "Tender for Empanelment of Outsourcing Agency for Providing Fourth Grade Staff for 24X7 APHC in Madhubani" लिखा होना चाहिए। निविदा, दिनांक **11.02.2015 को अपराह्न 04** बजे जिला पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा से संबंधित कार्यो की विवरणी तथा नियम एवं शर्त्त की विस्तृत विवरणी जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है या मधुबनी जिले के सरकारी वेबसाईट http://madhubani.bih.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी बगैर किसी पूर्व सूचना के निविदा की शर्त्तो में परिवर्त्तन करने एवं निविदा को पूर्णतः या अंशतः संशोधित करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ह0/–
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

ह0/–
जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

27/01/2015
सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

23/01/15

O/C

प्रारूप

District Health Society, Madhubani

जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी

Sadar Hospital Campus, Madhubani
Phone No. 06276-227261
Email : dhsmadhubani@gmail.com

पत्रांक 174 / जि0स्वा0स0, मधुबनी दिनांक 07/01/15 /

मधुबनी जिलान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड से चयनित एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(कुल संख्या–21), जिसे 24X7 एम0सी0एच0 सेंटर के रूप में क्रियान्वित किया गया है, पर प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लिया जाना है।

Tender Document

Dayanidhi 21/01/2015 21/1/15

कार्यो की विवरणी

1. मधुबनी जिलान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड से चयनित एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र(कुल संख्या–21), जिसे 24X7 एम0सी0एच0 सेंटर के रूप में कियान्वित किया गया है, पर प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की सेवा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लिया जाना है।
2. वॉछित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का ToR निम्नलिखित है:–

(i) कार्यालय संबंधी पत्रों का वितरण एवं संदेशवाहक का कार्य।
(ii) रोगियों को कतारबद्ध करना।
(iii) चिकित्सकीय कार्य हेतु मरीजों को सहयोग करना।
(iv) कार्यालय एवं कक्ष सेवक कार्य।
(v) संबंधित संस्थान के सौंदर्यीकरण का कार्य।
(vi) अक्षम्य मरीजों को दैनिक कार्यो में सहयोग।
(vii) संस्थान में आने एवं जाने वाले अक्षम्य मरीजों को रेफरल सिस्टम से उतारने एवं चढ़ाने में सहयोग करना।
(viii)संबंधित संस्थान के लिए उपर्युक्त वस्तुओं (औषधि एवं अन्य वस्तुओं) को अन्य संस्थान से लाने एवं पहुँचाने का कार्य।
(ix)आउटसोर्स कार्यो में रूकावट पैदा होने की स्थिति में संस्थान में नियमित कार्यो के संचालन हेतु युक्त संबंधित कार्यो का संपादन।
(x) रात्रि में सुरक्षा प्रहरी के रूप में उत्तरदायी होंगे।

3. पदनाम– कार्यालय परिचारी
4. योग्यता– दसवीं पास तथा किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं होना चाहिए।

निविदा की तकनीकी शर्ते–

1. निविदादाता एजेन्सी/संस्था का श्रम विभाग, बिहार सरकार से निबंधित तथा श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया Labour Contract License अद्यतन होना अनिवार्य है।
2. संबंधित एजेंसी/संस्था को बिहार राज्य में पॉच वर्षो का कार्यानुभव अनिवार्य है।
3. एजेंसी/संस्था का सेवा कर निबंधन अनिवार्य है।
4. एजेंसी/संस्था का ESI/EPF में निबंधन अनिवार्य होगा।
5. एजेंसी/संस्था को लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षो का आयकर रिटर्न भरने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. संबंधित एजेन्सी/संस्था का पिछले पॉच वित्तीय वर्षो का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) रू0 का होना चाहिए।
7. संबंधित एजेंसी/संस्था को लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
8. एजेंसी/संस्था को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
9. एजेंसी/संस्था को अद्यतन आयकर/वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा।

वित्तीय निविदा : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना द्वारा उक्त कार्यालय परिचारी हेतु नियत 225.00 (दो सौ पच्चीस) रू0 प्रतिदिन की दर से निर्धारित किया गया है। इस हेतु वित्तीय निविदा दिए जाने की बाध्यता नहीं है।

अनुबंध अवधि:

1. अनुबंध अवधि तीन वर्षो के लिए मान्य होगी। परंतु प्रत्येक वर्ष कार्यो की समीक्षा जिला पदाधिकरी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी की अध्यक्षता में की जायेगी।
2. समीक्षा में कमी पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर एकरारनामा को रद्द कर दिया जायेगा।

Dayanidhi

अनुबंध समाप्ति का एकरारनामा:

1. एकरारनामा/अनुबंध को तीन माह का के नोटिस पर प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
2. कार्यादेश प्राप्त एजेंसी/संस्था के किसी भी कर्मी द्वारा कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक माह के नोटिस पर संबंधित कार्यालय परिचारी को हटाना होगा तथा उसके बदले नये कर्मी से उसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी।
3. प्रत्येक माह एजेंसी/संस्था को संबंधित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अनुपस्थिति विवरणी को संलग्न करते हुए ही विपत्र प्रस्तुत करना होगा।

जमानत राशि:

1. सफल एजेंसी/संस्था को जमानत राशि के रूप में कार्यादेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर अनुमानित कुल मासिक व्यय का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी के नाम से देय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विपत्र के भुगतान पर रोक लगा दी जायेगी। अनुमानित कुल व्यय का आंकलन जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी द्वारा किया जायेगा।
2. जमानत राशि एकरारनामा अवधि के पूरा होने के उपरांत लौटा दी जायेगी तथा एजेंसी/संस्था द्वारा किसी प्रकार Damage या Loss of Property के आलोक में राशि काट ली जायेगी।
3. एजेंसी/संस्था को जमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

निविदा की अन्य शर्ते–

1. निविदा संबंधित सभी कागजात अच्छे तरीके से नत्थी अथवा स्पाईरल बाईन्डिग में पेज सं0 अंकित करके जमा करना अनिवार्य है।
2. स्पष्ट अंकित तथा मुहरबंद निविदा ही स्वीकार किया जायेगा।
3. जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी बिना कारण बताये किसी निविदा को पूर्णतः या अंशतः निरस्त कर सकती है।
4. चयनित एजेन्सी को सभी कार्यालय परिचारीं के लिए पहचान पत्र एवं एक समान ड्रेस (ठंड एवं गर्म मौसम के लिए अलग–अलग) उपलब्ध कराना होगा, जिस पर संबंधित एजेन्सी का नाम तथा कार्यालय परिचारी का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
5. दर अनुबंध के उपरान्त अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में अनुबंधित दर पर आवश्यकता पड़ने पर सेवा ली जा सकती है। एजेन्सी को उन संस्थानों में सेवा प्रदान करना होगा।
6. चयनित एजेंसी/संस्था को कार्यादेश प्राप्त होने के उपरांत जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी के साथ द्विपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा।
7. प्रति कार्यालय परिचारी निर्धारित नियत दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कर का भुगतान देय नहीं होगा।
8. निविदा में मधुबनी जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मी/पदाधिकारी, उनके नजदीकी रिश्तेदार एवं निविदा प्रकाशन के तिथि तक जो व्यक्ति रोगी कल्याण समिति के सदस्य है, वे निविदा में शामिल नहीं हो सकते है। कार्यादेश प्राप्त एजेंसी/संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके कोई रिश्तेदार मधुबनी जिलान्तर्गत स्वास्थ्य विभाग/रोगी कल्याण समिति/जिला स्वास्थ्य समिति से सम्बद्ध नहीं हैं।
9. चयनित एजेंसी/संस्था द्वारा असंतोषजनक कार्य किये जाने की स्थिति में उसे निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुए सभी शर्त्तो को पूर्ण करने वाली अन्य एजेंसी/संस्था को कार्य आवंटित किया जा सकता है तथा असंतोषजनक कार्य करने वाली एजेंसी/संस्था को कालीसूची में डाला जा सकता है।

21/01/2015

सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

21/1/15

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, मधुबनी।

Dayanidhi
21/01/15